



2026:AHC-LKO:20162

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 157 वर्ष 2026

सोनू सिंह

..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह विभाग),

लखनऊ एवं अन्य

..... प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता	:	राम आशीष, राम लखन
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28**माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

आज राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।

दिनांक 20.01.2026 के आदेश द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 2 को नोटिस जारी किया गया था तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त नोटिस विपक्षी पक्ष संख्या 2 को तामील हो चुका है। इस संबंध में सी.ए.-1 को प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्न किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आज जब वाद पुकारा गया, तब विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित है और न ही कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है, अतः इस न्यायालय के समक्ष इस तात्कालिक अपील का निस्तारण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

वर्तमान आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत, दिनांक 11.12.2025 को पारित विवादित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी./गैंगस्टर अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 4676 वर्ष 2025 में पारित किया गया था, जो वाद अपराध संख्या 148 वर्ष 2025, धारा 69, 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस. तथा धारा 3(1)(da), 3(1)(dha), 3(2)(v), 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ से उत्पन्न है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में 5 माह का अत्यधिक विलंब हुआ है, जिसका कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष की पीड़िता एक बालिग युवती है, जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष है, जो अपीलकर्ता के साथ एकतरफा प्रेम संबंध में थी तथा पीड़िता स्वयं अपीलकर्ता से मिलने का आग्रह करती थी और विवाह के झूठे वादे का कोई आशय नहीं था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा व्हाट्सएप संदेशों का प्रिंटआउट, जमानत आवेदन के परिशिष्ट संख्या-5 के रूप में संलग्न किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पीड़िता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्वयं अपीलकर्ता पर मिलने तथा विवाह संपन्न करने के लिए दबाव एवं आग्रह कर रही थी। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि चिकित्सीय परीक्षण (इंजरी रिपोर्ट) के अनुसार पीड़िता द्वारा स्वयं ब्लेड का उपयोग कर चोट पहुंचाई गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक 06.05.2025 को दूरभाष के माध्यम से पीड़िता को बुलाया गया था, जबकि यह तथ्य अपीलकर्ता के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स से विपरीत है, जिसकी प्रति जमानत आवेदन के साथ संलग्न की गई है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्राथमिकी में सार्वजनिक दृष्टि में जानबूझकर अपमान या धमकी देने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कथित घटना के दो अलग-अलग प्रसंग हैं तथा बाद की घटना के समय अपीलकर्ता की बहन का सगाई समारोह था, जिसके संबंध में फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए गए हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलकर्ता दिनांक 10.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा साक्षियों या प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को धमकाने या प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा विवादित आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा।

विपरीततः, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलकर्ता ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर अभियोजन पक्ष की पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए तथा जातिसूचक अपशब्दों का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रयोग करते हुए उसे जीवन से मारने की धमकी दी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन के कथनों का समुचित एवं विधिसम्मत मूल्यांकन किया है, अतः अपीलकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है और वर्तमान आपराधिक अपील निरस्त किए जाने योग्य है। तथापि, वे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तथात्मक तर्कों का खंडन करने में असमर्थ रहे।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भी सम्मिलित हैं, का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में 5 माह का अत्यधिक विलंब हुआ है, जिसका कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; अभियोजन पक्ष की पीड़िता एक बालिग युवती है, जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष है; अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप संदेशों से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि पीड़िता स्वयं अपीलकर्ता पर मिलने एवं विवाह संपन्न करने हेतु दबाव एवं आग्रह कर रही थी; अभियोजन की कहानी के अनुसार पीड़िता को दूरभाष के माध्यम से बुलाया गया, जबकि अपीलकर्ता के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स इससे विपरीत हैं; विवाह के झूठे आश्वासन का आशय परिलक्षित नहीं होता; प्राथमिकी में यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है कि पीड़िता को सार्वजनिक दृष्टि में जानबूझकर अपमानित या भयभीत किया गया; कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है; अपीलकर्ता दिनांक 10.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और उसने यह आश्वासन दिया है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा। अतः प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी./गैंगस्टर अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 4676 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 11.12.2025 का विवादित आदेश, जो वाद अपराध संख्या 148 वर्ष 2025, धारा 69, 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस. तथा धारा 3(1)(da), 3(1)(dha), 3(2)(v), 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ से उत्पन्न है, निरस्त किया जाता है।

उक्त वाद अपराध संख्या में अपीलकर्ता **सोनू सिंह** को, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन का सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित/धमकाएगा नहीं।
- (iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
- (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब अपीलकर्ता साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(viii) अपीलकर्ता धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

चूंकि यह आदेश अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

दिनांक : 19 मार्च, 2026

के.के.वी./

न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।